

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 501] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 11, 1983/कार्तिक 20, 1905
No. 501] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 11, 1983/KARTIKA 20, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

नीबहन और परिवहन मंत्रालय

(तड़क पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 1983

का० आ० 803(अ).—राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 के 48) की धारा 2 की उपधारा (2) द्वारा प्रप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार नीचे दी गयी नगरों में दिए राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करता है।

राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया उक्त राजमार्ग, अथ राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 में उल्लिखित तथा नीचे दी गयी नगरों में क्रमशः (1) और (2) कासनों में दी गयी क्रम संख्या तथा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या के रूप में समझा जाएगा :—

सारणी		
क्रम संख्या	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	राष्ट्रीय राजमार्ग का व्यौरा
1	2	3
34-ए	45-ए	यह राजमार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 पर विल्लुपुरम से प्रारम्भ होकर पॉन्डिचेरी में समाप्त होता है।

[संख्या : पीएच-19(27)/82]

के० के० सरिन,

महागिदेशक (सड़क विकास)

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Roads Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th November, 1983

S.O. 803 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section(2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby declares the highway specified in the Table below to be a national highway.

The said highway, now declared to be a national highway shall be deemed to be specified in the Schedule to the National Highways Act, 1956 with the serial No. and national highway No. indicated in columns (1) and (2) respectively, of the said Table.

TABLE

Serial No.	National Highway No.	Description of national highway
1	2	3
34-A	45-A	The Highway starting from Villupuram on National Highway No. 45 and terminating at Pondicherry.

[No. RW/PL-10(27)/82]

K.K. SARIN, Director General
(Road Development)